

कार्यालय कलेक्टर : जिला संस्थागत वित्त नरसिंहपुर  
क्रमांक/ 35 /जि०सं०वि०/2 016 नरसिंहपुर दिनांक 22/11/16  
प्रति

संचालक  
संस्थागत वित्त  
विन्ध्याचल भवन  
भोपाल

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-4 के अन्तर्गत  
स्वंप्रकटीकरण एवं वेबसाइट अद्यतन करने के संबंध में ।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक सू अ /सविब/2016/92 भोपाल दिनांक 12 जनवरी  
2016

--0--

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा वाही गई जानकारी सूचना का अधिकार  
अधिनियम 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत स्वंप्रकटीकरण की 17 बिन्दुओं का  
मेन्युअल वेबसाइट पर अद्यतन जानकारी अपलोड कराकर तदनुसार जानकारी पत्र  
के साथ संलग्न कर आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित है ।

संदर्भ- उपरोक्तानुसार

  
संयुक्त कलेक्टर  
नरसिंहपुर

o/c

क्र०/36 /जि०सं०वि०/2016 नरसिंहपुर दिनांक 22/11/16  
प्रतिलिपि :-

कलेक्टर नरसिंहपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

  
संयुक्त कलेक्टर  
नरसिंहपुर

o/c

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जन सामान्य की अवलोकनार्थ  
उपलब्ध विन्तुवार जानकारी  
कार्यालय जिला संस्थागत वित्त नरसिंहपुर

संगठनात्मक परिषय:- इससे यह कार्यालय कलेक्टर ऑफिस के कमरा क्रमांक 48  
में स्थित है। सूचना का अधिनियम 2005  
क्रियान्वयनकेतु मैन्युअल जिला संस्थागत वित्त नरसिंहपुर  
के अन्तर्गत डाकघर में एजेन्टों की नियुक्ति का कार्य  
संभारप्रदित इस कार्यालय के अन्तर्गत निष्पादित किया  
जा रहा है।

§ 2§ इस कार्यालय द्वारा डाकघर में एजेन्ट नियुक्ति की  
की कार्यवाही की जाती है।

§ 3§ एजेन्टों से डाकघर में इफ डी आर डी आदि  
बनवमई जाती है।

§ 4§ अधिकारी एवं कर्मचारी के कर्तव्य एवं कार्य :- इस  
कार्यालय द्वारा अधीनस्थ कर्मचारी की स्थापना  
कठिनजेलसी/ कौषाल्य में बिल प्रस्तुतकरना एवं  
एजेन्सी नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है।

§ 5§ कर्मचारी के कर्तव्यों के लिए नियम / विनियम / मैन्युअल  
स्माल सेविंग बुक आदि द्वारा संभारित किए जाती  
है।

§ 6§ इसके अतिरिक्त सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा  
अभिलेख एवं प्रिण्ट अंतर से समय समय पर प्राप्त  
होनेवाले निवेदा नियम उपनियम संभारित भिजे  
गये है। नरस्तियों में नियंत्रण में रखे गये दस्तावेजों  
का क्रमबद्ध प्रणाली निरंक § 2§ स्थाना संबंधी दस्तावेज  
§ 3§ बजट संबंधी दस्तावेज § 4§ एजेन्टों से पत्राचार  
संबंधी जानकारी

§ 7§ इसके प्रबंधन तथा नीति निर्धारण के बारे में एजेन्टों  
से विचार विमर्श या उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यवेदन

के विचार के लिए की गई व्यवस्था का विवरण एजेन्टों से प्राप्त  
किती समस्या पर विचार विमर्श कर शासन के हितों को  
दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है एजेन्टों से प्राप्त अनुभवों  
का निराकरण उच्च स्तर से किया जाता है जिस स्तर से  
समस्या संबंधित है।

१०१  
१०२

निरंक  
इस कार्यालय के अधिकारी / कर्मचारी की दूरभाष सूची

क्रमांक अधिकारी / कर्मचारी का नाम पद नाम दूरभाष

१११ श्री जी०एच०एच० संयुक्त कलेक्टर 9893776550

१२१ श्री प्रमोद कुमार मुप्ता 9685183649

सहायक गेड तीन

१०१

इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मिलने वाला मासिक  
मानदेय जिसमें नियुक्तों में प्रावधानिक सुआवका भी शामिल है :-  
उक्त जानकारी निरंक है।

१११

प्रत्येक एजेन्सी को दिया जाना वाला बजट जिसमें दिया  
जाना वाला बजट जिसमें प्लान, पस्तापित व्यय तथा किये  
गये व्यय भुगतान आदि प्रतिवेदन शामिल है :- उक्त  
जानकारी निरंक है।

१२१

अनुदान कार्यक्रमों की कियान्वयनकी प्रणालि जिसमें  
प्रावधानित राशि तथा ऐसे कार्यक्रमों का विवरण ही  
जानकारी निरंक है।

१३१

रिषायत परिमिट या अधिकार पत्र जो प्रदाय किं गये  
उनका विवरण:- एजेन्टों का प्रदाय लाइसेन्स दिया जाता  
है।

१४१

इसके पास उपलब्ध जानकारी का विवरण जिस  
इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में बनाया गया है :- जानकारी निरंक

§ 15§ जनसाधारण को जानकारी प्रदाय करने के लिए जो सुविधाएँ उपलब्ध है उनकारका विवरण जिसमें लायेवैरी रीडिंग रूम के कार्य के बारे में यदि वे कार्यरत हों तो :- एक जनकार निरक

§ 16§ जन सम्पर्क अधिकारियों के नाम पद नाम अन्य विवरण

§ 17§ श्री जी०एस० भुवे संयुक्त कलेक्टर

§ 27§ अन्य जानकारीयों जो निर्धारित की जायेगी।

शासन द्वारा निर्धारित जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।

  
संयुक्त कलेक्टर  
1 नवम्बर 2016